

साँची दुग्ध वितरक कार्य हेतु आवेदन फार्म


भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024

दूरभाष – 0755. 2680250 से 53

फैक्स नम्बर –0755. 2450896

E- mail : bsds@sancharnet.in



प्रपत्र:-1

// आवेदनकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

आवेदनकर्ता
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाए/स्केन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज, भोपाल (म0प्र0)

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शहर/क्षेत्र में दुग्ध विक्रय कार्य किये जाने के संबंध में वितरक कार्य करने हेतु प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति सूचना को पढ़कर हमने / मैंने यह आवेदन प्रपत्र विपणन कार्यालय से प्राप्त किया है। मैं यह आवेदन फार्म आवेदित स्थल के लिए भर रहा हूँ तथा आवेदन प्रपत्र के साथ रु 500/- की डीडी. क्र. दिनांक जो कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के नाम से देय होगा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने/मैंने अभिरुचि की अभिव्यक्ति सूचना के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, आवेदन प्रपत्रों में वर्णित विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हूँ/हूँ तथा बाध्य हूँ ।

इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

01. आवेदनकर्ता का नाम व पता
02. दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री एवं मोबाईल नंबर
03. आवेदनकर्ता का ई-मेल पता एवं फैक्स नंबर एस.टी.
डी.कोड सहित
04. आवेदनकर्ता की संस्था का स्वरूप (फर्म/ कंपनी/
प्रो.स्वामित्व/ हिंदु अविभाजित परिवार आदि)
05. प्रोपराइटर/भागीदार/मु.कार्य.पालन अधिकारी का नाम व
पता संपर्क दूरभाष-मोबाईल नंबर सहित

06. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते
07. कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र० तथा दिनांक.....
08. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
09. आवेदनकर्ता का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर का विवरण
10. एफ.एस.एस.आई. नं की प्रति संलग्न करें।

1. उपरोक्त दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत दुग्ध संघ द्वारा हमें/मुझे वितरक का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि और वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूं।
2. हम/मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते हैं/करता हूं कि आवेदन प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

दिनांक.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रो./कंपनी/फर्म का नाम.....

पूरा पता.....

हैसियत.....

मुहर/सील.....

नोट – इस परिशिष्ट में सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करें। अपेक्षित विवरण के अभाव में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।



साँची दुग्ध वितरक कार्य हेतु आवश्यक शर्तें :-

1. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र एमपीसीडीएफ की वेब साइट से डाउनलोड कर एवं इस आवेदन प्रपत्र को भरकर **रु 500/-** की डीडी. के साथ जो कि पेयबल एट **“भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.भोपाल”** के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य है। बिना डीडी के आवेदन प्रपत्र अमान्य होगा।
3. आवेदनकर्ता को न्यूनतम 500 लीटर दुग्ध विक्रय प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी समीक्षा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रति माह की जावेगी। निर्धारित लक्ष्य अनुसार लक्ष्य प्राप्त न करने की दशा में वितरक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।
4. आवेदनकर्ता का चयन होने के उपरांत भोपाल दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि **रु 100000/-** (रुपये एक लाख मात्र) डी.डी द्वारा भोपाल दुग्ध संघ में जमा करना होगी। जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के नाम से होगा।
5. किसी भी आवेदित स्थल पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जावेगी। जो कि आवेदनकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।
6. आवेदनकर्ता के पास चयन होने के उपरांत आवेदित स्थल पर स्वयं की दुकान अथवा कार्यालय होना अनिवार्य है। दुकान अथवा कार्यालय किराये से लिये जाने की दशा में किरायानामा/मुखतारनामा समय पर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. वितरक को दुग्ध की मांग प्रतिदिन समय पर ई-मेल के द्वारा दिया जाना होगा एवं प्रदाय किये गये दूध के विरुद्ध राशि प्रतिदिन आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करनी होगी तथा साथ ही आवेदनकर्ता को धनादेश दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदनकर्ता को स्थानीय बाजार में मांगानुसार अपने स्वयं के वाहन से विक्रेताओं को दुग्ध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदनकर्ता को **रु 1000/-** के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
10. आवेदनकर्ता वितरण स्थल पर संबंधित परिवहनकर्ता से दूध के पैकेट्स छोट कर लेगा दुग्ध वितरण होने के उपरांत किसी भी प्रकार से दुग्ध के पैकेट्स कम/लीकेज होने की दशा में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदनकर्ता की होगी।
11. आवेदनकर्ता का चयन दो वर्षों हेतु किया जावेगा। वितरक कार्य दो वर्ष की अवधी सफलता पूर्वक समाप्त होने के उपरांत वितरक कार्य हेतु अवधी बढ़ाये जाने का निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।
12. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ **रुपये 100/-** के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का भोपाल दुग्ध संघ के मा. अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी भी सदस्य /भोपाल दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/भोपाल दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ के विरुद्ध किसी भी मा.न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा।

13. दुग्ध वितरक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवाएगा।
14. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
15. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
16. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधी राशि राजसात कर आवेदनकर्ता को काली सूची में डालने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
17. आवेदनकर्ता के पास एफ.एस.एस.आई. क्रमांक होना अनिवार्य होगा अथवा वितरक नियुक्ति के उपरांत 15 दिवस के अंदर एफ.एस.एस.आई क्रमांक की प्रति आवेदनकर्ता जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
18. वितरक कार्य हेतु शेष नियम एवं शर्तें दुग्ध संघ की वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगी। जिसकी जानकारी आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र जमा करते समय विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र में समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता



वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल संख्या में (प्रारूप केवल देखने हेतु)

क्र.	स्थान का नाम	वितरकों की संख्या	परिवहन मार्ग का नाम	क्र.	स्थान का नाम	वितरकों की संख्या	परिवहन मार्ग का नाम
1.	ओबेदुल्लागंज	01	भोपाल से नसरुल्लागंज	19	बिलखिलरिया	1	भोपाल से रायसेन
2.	खिलचीपुर	01	भोपाल से राजगढ़	20	खिरकिया	1	भोपाल से हरदा
3.	विदिशा	01	भोपाल से विदिशा	21	नेमावर	1	भोपाल से हरदा
5.	मधुसूदनगढ़	01	भोपाल से व्यावरा	22	सलामतपुर	1	भोपाल से विदिशा
6	बिलकिसगंज	01	भोपाल से बिलकिसगंज, आष्टा	23	दीवानगंज	1	भोपाल से विदिशा
7.	राजगढ़	01	भोपाल से राजगढ़	24	गुलाबगंज	1	भोपाल से विदिशा
8.	साईखेड़ा	01	भोपाल से बरेली	25	पठारी	1	भोपाल से विदिशा
9.	सुल्तानपुर	01	भोपाल से बरेली	26	उदयपुर	1	भोपाल से विदिशा
10.	गौहरगंज	01	भोपाल से बाड़ी	27	त्यौंदा	1	ग्यारसपुर से पठारी, उदयपुर
11.	गैरतगंज	01	भोपाल से रायसेन	28	गाडरवारा	1	भोपाल से बरेली
12.	देहगाँव	01	भोपाल से रायसेन	29	मुलताई	1	बैतूल से मुलताई
13.	सोहागपुर	01	भोपाल से पिपरिया	30	आमला	1	बैतूल से मुलताई
14.	शोभापुर	01	भोपाल से पिपरिया	31	तुमड़ा	1	सीहोर से अहमदपुर
15	अहमदपुर	01	भोपाल से सिहोर	32	पोलाय	1	शुजालपुर से अरनियाकलॉ पोलाय
16	इछावर	1	भोपाल से बिलकिसगंज, आष्टा	33	कुरावर	1	भोपाल से राजगढ़
17	श्यामपुर	1	भोपाल से राजगढ़	34	परवलिया	1	भोपाल से राजगढ़
18	वोडा	1	शुजालपुर से वोडा मार्ग	35	पचौर	1	शुजालपुर से वोडा मार्ग

